



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28062021-227958
CG-DL-E-28062021-227958

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 181]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 28, 2021/आषाढ़ 7, 1943

No. 181]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 28, 2021/ASHADHA 7, 1943

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरूआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जून, 2021

विषय : कुवैत, सउदी अरब और यूएसए से “मोनोएथीलीन ग्लायकोल्स या एमईजी” के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरूआत।

फा. सं. 6/8/2021-डीजीटीआर.—1. इंडिया ग्लायकोल्स लिमिटेड और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (जिसे यहां आगे “आवेदक” भी कहा गया है), ने समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और उसकी समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षतिनिर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली भी कहा गया है) के अनुसार घरेलू उद्योग की ओर से निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है जिसमें कुवैत, सउदी अरब और यूएसए (जिन्हें यहां आगे “संबद्ध देश” भी कहा गया है) के मूल के अथवा से निर्यातित “मोनोएथीलीन ग्लायकोल्स या एमईजी” (जिसे यहां आगे “संबद्ध वस्तु” अथवा “विचाराधीन उत्पाद” भी कहा गया है) के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरूआत करने का अनुरोध किया गया है।

2. आवेदक ने आरोप लगाया है कि संबद्ध देशों से के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु का पाटन और घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति हुई है और संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया है।

क. विचाराधीन उत्पाद

3. वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ विचाराधीन उत्पाद मोनोएथीलीन ग्लायकोल है जिसे एमईजी अथवा एथीलीन ग्लायकोल के रूप में भी जाना जाता है। मोनोएथीलीन ग्लायकोल एक स्पष्ट रंगहीन वस्तुतः गंधहीन और थोड़ा सा चिपचिपा तरल होता है। यह जल एल्कोहल और अनेक कार्बनिक यौगिकों में मिश्रित हो जाता है। इसका रासायनिक सूत्र $C_2H_6O_2$ है। इसे स्टेनलैस स्टील, एल्युमिनियम या लाइन्ड ड्रमों, टैंक कारों या टैंक ट्रकों में भंडारित किया जा सकता है। इसका विशिष्ट गुरुत्व 1.114 तथा फ्लैस प्वाइंट 110° सेलिसयस (क्लोड कप) है।
4. मोनो एथीलीन ग्लायकोल का प्रयोग मुख्यतः पॉलिएस्टर फाइबर, पॉलिएस्टर फिल्म और पालीएथीलीन टेरेफ्थलेट (पीईटी) जैसे रेजिन के उत्पादन में रासायनिक मध्यवर्ती के रूप में होता है। पीईटी को प्लास्टिक बोतल में बदलाव किया जाता है जो विश्वभर में प्रयोग होती हैं। इसके अलावा एमईजी का वस्त्र के फाइबर उपचार, कागज उद्योग और एधेसिव, स्याही और सेलोफेन में भी प्रयोग होता है। इसका प्रयोग प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों में डीहाइड्रेशन एजेंट के रूप में भी होता है जहां यह गैस से प्राप्त होने से पहले प्राकृतिक गैस क्लेथरेट के बनने को अवशोषित करता है और पुनः प्रयोग होता है।
5. मोनो एथीलीन ग्लायकोल का उत्पादन दो मूल कच्ची सामग्रियों एथीलीन और ऑक्सीजन के प्रयोग से होता है। एथीलीन और ऑक्सीजन को बहु ट्यूबलर केटेलिक रिएक्टर में एथीलीन ऑक्साइड (ईओ) के उत्पादन हेतु मिलाया जाता है। उच्च एक्सोथर्मिक प्रतिक्रिया को वैज्ञानिक डिजाइन द्वारा विकसित प्रोपराइटरी और कारगर सुरक्षा प्रणाली से सावधानीपूर्वक नियंत्रित किया जाता है। रिएक्टर में उत्पादित ईओ को उच्च गुणवत्ता वाले शुद्ध ईओ से अलग किया जाता है और/या फाइबर ग्रेड मोनोएथीलीन ग्लायकोल (एमईजी) तथा डाई और ट्राई एथीलीन ग्लाइको (डीईजी, टीईजी) के उत्पादन हेतु आगे प्रसंस्कृत किया जाता है।
6. यह उत्पाद टैरिफ कोड 2905 31 00 के अंतर्गत अध्याय 29 के अधीन वर्गीकृत है। सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जांच के दायरे पर किसी भी प्रकार से बाध्यकारी नहीं है।

ख. समान वस्तु

7. आवेदक ने दावा किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध वस्तु के समान वस्तु है। यह बताया गया है कि आवेदकों द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु और संबद्ध देशों से निर्यातित वस्तु में कोई खास अंतर नहीं है। आवेदकों ने दावा किया है कि ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को संबद्ध देशों से आयात की जा रही संबद्ध वस्तु के समान वस्तु माना जा रहा है।

ग. घरेलू उद्योग

8. यह याचिका इंडिया ग्लायकोल लिमिटेड और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा दायर की गई है। आवेदकों ने बताया है कि उन्होंने ने तो संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु का आयात नहीं किया है और वे कथित पाटित वस्तु के किसी निर्यातक अथवा भारत में किसी आयातक से संबंधित नहीं हैं।
9. रिकॉर्ड में उपलब्ध साक्ष्य के अनुसार यह नोट किया जाता है कि आवेदकों का उत्पादन भारत में समान वस्तु के घरेलू उत्पादन का प्रमुख हिस्सा बनता है। इसके अलावा आवेदकों का कुल घरेलू उत्पादन में 50 प्रतिशत से अधिक हिस्सा है। उपलब्ध सूचना के आधार पर नियम 2(ख) के अर्थ के भीतर आवेदकों को घरेलू उद्योग माना है और याचिका पाटनरोधी नियमावली के नियम 5(3) के अंतर्गत स्थिति संबंधी अपेक्षा को पूरा करती है।

घ. कथित पाटन का आधार**1. सामान्य मूल्य**

10. आवेदकों ने बताया है कि कुवैत और सउदी अरब में विशिष्ट बाजार स्थिति विद्यमान है क्योंकि उत्पादकों को विकृत कीमतों पर कच्ची सामग्री मिलती है। अतः ऐसी लागत और कीमत पर सामान्य मूल्य के निर्धारणार्थ विचार नहीं किया जा सकता है। तदनुसार आवेदक ने दावा किया है कि कच्ची सामग्री की लागत को अंतर्राष्ट्रीय

कीमतों से बैचमार्क किया जाना चाहिए। जांच शुरूआत के प्रयोजनार्थ कुवैत और सउदी अरब में सामान्य मूल्य उसकी प्रमुख कच्ची सामग्री (एथीलीन) की अंतर्राष्ट्रीय कीमत और लाभ के लिए तर्कसंगत योग सहित घरेलू उद्योग की परिवर्तन लागत के आधार पर परिकलित किया गया है।

11. यूएसए में सामान्य मूल्य यू एस गल्फ कोस्ट में प्रचलित कीमतों के आधार पर परिकलित किया गया है क्योंकि ये कीमतें एफओबी आधार पर हैं, इसलिए उन्हें अंतरदेशीय भाड़े, कमीशन और पत्तन व्यय के लिए समायोजित किया गया है ताकि कारखाना द्वार कीमत ज्ञात की जा सके।

II. निर्यात कीमत

12. प्राधिकारी ने डीजीसीआईएंडएस के आंकड़ों में सूचित सीआईएफ कीमत के आधार पर सभी संबद्ध देशों के लिए निर्यात कीमत परिकलित की है। समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, अंतरदेशीय भाड़ा, कमीशन तथा पत्तन व्यय के लिए कीमत समायोजन किए गए हैं।

III. पाटन मार्जिन

13. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की कारखाना द्वार स्तर पर तुलना की गई है जिससे संबद्ध देशों में विचाराधीन उत्पाद के संबंध में पाटन मार्जिन का काफी अधिक स्तर पर प्रथमदृष्टया प्रदर्शित होता है। इस बात के पर्याप्त प्रथमदृष्टया साक्ष्य हैं कि संबद्ध देशों से निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में विचाराधीन उत्पाद पाटित किया जा रहा है।

ड. क्षति एवं कारणात्मक संबंध

14. घरेलू उद्योग को हुई क्षति के आकलन के लिए आवेदकों द्वारा प्रस्तुत सूचना पर विचार किया गया है। आवेदकों ने मांग- आपूर्ति अंतर के अतिरेक में आयातों के रूम में कथित पाटन, आयात कीमत में गिरावट, कीमत कटौती, कीमत ह्रास और घरेलू उद्योग पर कीमत न्यूनकारी प्रभावों के परिणामस्वरूप क्षति होने के साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। आवेदकों ने दावा किया है कि यद्यपि उत्पादन, बिक्रियों और बाजार हिस्से के संबंध में घरेलू उद्योग का कार्यनिष्पादन स्थिर रहा है तथापि लाभ, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय के संबंध में कार्यनिष्पादन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। आवेदकों ने आगे और वास्तविक क्षति के खतरे का भी दावा किया है और निर्यातकों के पास पर्याप्त मुक्त रूप से निपटान योग्य और अप्रयुक्त क्षमताओं, संबद्ध देशों में क्षमता विस्तार, निर्यातकों का काफी अधिक निर्यातोन्मुख होने और कम कीमत के आयातों के आयात के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं जिससे उद्योग पर न्यूनकारी और ह्रासकारी प्रभाव पड़ने की संभावना है। इस बात के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य है कि क्षति हुई है और वह संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हो रही है और यह कि घरेलू उद्योग को आगे और वास्तविक क्षति होने का खतरा है।

च. पाटनरोधी जांच की शुरूआत

15. घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से विधिवत रूप से साक्ष्यांकित लिखित आवेदन के आधार पर और संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के पाटन, घरेलू उद्योग को क्षति तथा कथित पाटन और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के बारे में घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर स्वयं को संतुष्ट करने के बाद तथा नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार प्राधिकारी एतद्वारा संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के संबंध में किसी कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव को निर्धारित करने तथा पाटनरोधी शुल्क की ऐसी राशि की सिफारिश करने जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, के लिए जांच की शुरूआत करते हैं।

छ. संबद्ध देश

16. वर्तमान जांच में संबद्ध देश कुवैत, सउदी अरब तथा यूएसए हैं।

ज. जांच की अवधि (पीओआई)

17. वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ जांच अवधि 1 जनवरी, 2020 से 31 दिसंबर, 2020 तक (12 माह) की है। तथापि, क्षति जांच अवधि में अप्रैल 2017 – मार्च, 2018, अप्रैल 2018 – मार्च, 2019, अप्रैल 2019 – मार्च, 2020 और जांच की अवधि शामिल होगी।

झ. प्रक्रिया

18. वर्तमान जांच के लिए नियमावली के नियम 6 में दिए गए सिद्धांतों का पालन किया जाएगा।

ञ. सूचना प्रस्तुत करना

19. कोविड-19 महामारी से उत्पन्न विशेष परिस्थितियों के मद्देजर निर्दिष्ट प्राधिकारी को समस्त पत्र ई-मेल पत्तों adg12-dgtr@gov.in, adv13-dgtr@gov.in, dir12-dgtr@gov.in तथा dd14-dgtr@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से भेजे जाने चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक हिस्सा पीडीएफ/एमएस वर्ल्ड फॉर्मेट में और आंकड़ों की फाइल एम एस एक्सल फॉर्मेट में खोजे जाने योग्य हो।

20. संबद्ध देशों में ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों के जरिए उनकी सरकार, भारत में संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को नीचे निर्धारित की गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र में एवं ढंग से समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है।

21. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी नीचे दी गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र और ढंग से इस जांच से संबंधित संगत अनुरोध ऊपर उल्लिखित ई-मेल पत्तों पर प्रस्तुत कर सकता है।

22. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराए जाने के लिए उसका एक अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

ट. समय-सीमा

23. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार सूचना की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर ईमेल पत्तों adg12-dgtr@gov.in, adv13-dgtr@gov.in, dir12-dgtr@gov.in तथा dd14-dgtr@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से निर्दिष्ट प्राधिकारी को भेजी जानी चाहिए। तथापि यह नोट किया जाये कि उक्त नियम के स्पष्टीकरण के अनुसार, सूचना और अन्य दस्तावेज मंगाने वाली सूचना को निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा पत्र भेजे जाने या निर्यातक देश के उचित राजनयिक प्रतिनिधि को दिए जाने की तारीख से एक सप्ताह के भीतर प्राप्त हुआ मान लिया जाएगा। यदि विहित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

24. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना देने और उपर्युक्त समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दी जाती है।

ठ. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

25. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने या गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार को नियमावली के नियम 7(2) के अनुसार उसका अगोपनीय अंश भी साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है। उपर्युक्त का पालन न करने पर उत्तर/अनुरोध को अस्वीकृत किया जा सकता है।

26. प्रश्नावली के उत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध (उससे संलग्न परिशिष्ट/अनुबंध सहित) प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों के लिए गोपनीय और अगोपनीय अंश अलग-अलग प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

27. "गोपनीय "या" अगोपनीय "अनुरोधों पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर" गोपनीय "या" अगोपनीय "अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोध का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।

28. गोपनीय पाठ में ऐसी समस्त सूचना होगी जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय है और/अथवा ऐसी अन्य सूचना जिसके ऐसी सूचना के प्रदाता द्वारा गोपनीय होने का दावा किया गया है। स्वाभाविक रूप से गोपनीय होने का दावा की गई सूचना या अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा की गई सूचना के संबंध में सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।

29. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (यदि सूचीबद्ध करना व्यवहार्य न हो) और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की विषय वस्तु को तर्कसंगत ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांशीकरण क्यों संभव नहीं है।
30. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।
31. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।
32. प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

ड. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

33. पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची डी जी टी आर की वेबसाइट पर इस अनुरोध के साथ अपलोड की जाएगी कि वे अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को अपने अनुरोधों का अगोपनीय अंश ई-मेल कर दें क्योंकि वर्तमान वैश्विक महामारी के कारण सार्वजनिक फाइल भौतिक रूप में उपलब्ध नहीं रहेगी।

ढ. असहयोग

34. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

अनंत स्वरूप, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 28th June, 2021

Subject : Initiation of anti-dumping investigation concerning imports of “Mono Ethylene Glycols or MEG” from Kuwait, Saudi Arabia and USA.

F. No. 6/8/2021-DGTR.—1. India Glycols Limited and Reliance Industries Limited (hereinafter referred to as the “Applicants”) have filed an application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the “Authority”) on behalf of domestic industry, in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the “Act”) and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the “Rules”) for initiation of anti-dumping investigation on imports of “Mono Ethylene Glycols or MEG” (hereinafter referred as “product

under consideration” or “PUC” or “subject goods”), originating in or exported from Kuwait, Saudi Arabia and USA (hereinafter referred to as “subject countries”).

2. The applicants have alleged dumping of the subject goods, originating in or exported from the subject countries and consequent injury to the domestic industry and has requested for imposition of the anti-dumping duties on the import of the subject goods originating in or exported from the subject countries.

A. Product under consideration

3. The product under consideration for the purpose of the present investigation is Mono Ethylene Glycol, also known as MEG or Ethylene Glycol. Mono Ethylene Glycol is a clear, colourless, virtually odourless, and slightly viscous liquid. It is miscible with water, alcohols, and many organic compounds. Its chemical formula is $C_2H_6O_2$. It can be stored in stainless steel, aluminium, or lined drums, tank cars or tank trucks. It has a specific gravity of 1.114 and a flash point of 110 °C (closed cup)
4. Mono Ethylene Glycol is majorly used as chemical intermediate in the production of polyester fibres, polyester films, and resins such as polyethylene terephthalate (PET). PET is converted into plastic bottles which are used globally. Further, MEG is also used in the fibre treatment of textiles, the paper industry, and in adhesives, inks, and cellophane. It is also used as a dehydration agent in natural gas pipelines where it inhibits the formation of natural gas clathrates before being recovered from the gas and reused.
5. Mono Ethylene Glycol is produced using two basic raw materials, ethylene and oxygen. Ethylene and oxygen are combined to produce ethylene oxide (EO) in a multi-tubular catalytic reactor. The highly exothermic reaction is carefully controlled with proprietary and effective safety systems developed by scientific design. EO produced in the reactor is separated to high quality purified EO and/or is further processed to produce fiber-grade Mono Ethylene Glycol (MEG) as well as di- and tri- ethylene glycols (DEG, TEG).
6. The product is classifiable under Chapter 29 under the tariff code 2905 31 00. The customs classification is only indicative and is not binding on the scope of the present investigation.

B. Like article

7. The applicants have claimed that the goods produced by the domestic industry are like articles to the subject goods imported from the subject countries. It has been stated that there is no significant difference in the subject goods produced by the applicants and those exported from subject countries. The applicants claim that the two are technically and commercially substitutable. For the purpose of the present investigation, the subject goods produced by the domestic industry are being treated as ‘like article’ of the subject goods imported from subject countries.

C. Domestic industry

8. The petition has been filed by India Glycols Limited and Reliance Industries Limited. The applicants have stated that they have not imported the subject goods from the subject countries and are not related to any exporter of the alleged dumped goods or any importer in India.
9. As per the evidence available on record, it is noted that the production of the applicants accounts for a major proportion in the domestic production of the like article in India. Further, the applicants account for more than 50% of the total domestic production. On the basis of information available, the Authority has considered the applicants as domestic industry within the meaning of Rule 2(b) and the petition satisfies the requirement of standing under Rule 5(3) of the Anti-Dumping Rules.

D. Basis of alleged dumping

i. Normal value

10. The applicants have submitted that particular market situation exists in Kuwait and Saudi Arabia as producers get the raw material at distorted prices. Therefore, such costs and prices cannot be considered for determination of normal value. Accordingly, the applicant has claimed that the cost of raw material should be benchmarked to international prices. For the purpose of initiation, the normal value for Kuwait and Saudi Arabia has been constructed on the basis of international price

of its major raw material (Ethylene) and conversion cost of the domestic industry, with reasonable addition for profits.

11. The normal value for USA has been computed on the basis of prices prevailing at US Gulf Coast. Since the prices are on FOB basis, the same have been adjusted for inland freight, commission and port expenses to arrive at the ex-factory prices.

ii. Export price

12. The Authority has computed the export price for all the subject countries based on CIF price reported in the DGCI&S data. Price adjustments have been made on account of ocean freight, marine insurance, inland freight, commission and port expenses.

iii. Dumping margin

13. The normal value and the export price have been compared at ex-factory level, which prima facie shows significant dumping margin above the de minimis level in respect of the product under consideration from the subject countries. There is prima facie evidence that the product under consideration is being dumped into the Indian market by the exporters from the subject countries.

E. Injury and Causal link

14. Information furnished by the applicants has been considered for assessment of injury to the domestic industry. The applicants have furnished evidence regarding the injury having taken place as a result of the alleged dumping in the form of imports in excess of demand-supply gap, decline in import price, price undercutting, price suppressing and price depressing effect on the domestic industry. The applicants have claimed that while the performance of the domestic industry in respect of production, sales and market share has remained stable, its performance has been adversely impacted in respect profits, cash profits and return on capital employed. The applicants have also claimed threat of further material injury and have furnished evidence with regards to sufficiently freely disposable and underutilized capacities with exporters, capacity expansions in the subject countries, high degree of export orientation of exporters and import of low-priced imports which is likely to have suppressing or depressing effect on the industry. There is sufficient prima facie evidence that the injury exists and is being caused to the domestic industry by dumped imports from subject countries and that there is threat of further material injury to the domestic industry.

F. Initiation of Anti-Dumping Investigation

15. On the basis of the duly substantiated written application by or on behalf of the domestic industry, and having satisfied itself, on the basis of the prima facie evidence submitted by the domestic industry, about dumping of the product under consideration originating in or exported from the subject countries, injury to the domestic industry and causal link between such alleged dumping and injury, and in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 5 of the Rules, the Authority, hereby, initiates an investigation to determine the existence, degree and effect of any alleged dumping in respect of the product under consideration originating in or exported from the subject countries and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

G. Subject Countries

16. The subject countries for the present investigation are Kuwait, Saudi Arabia and USA.

H. Period of Investigation (POI)

17. The period of investigation in the present investigation is 1st January 2020 to 31st December 2020 (12 months). The injury period under investigation will, however, cover the periods April 2017 - March 2018, April 2018 - 2019, April 2019 - March 2020 and the period of investigation.

I. Procedure

18. Principles as given in Rule 6 of the Rules will be followed for the present investigation.

J. Submission of information

19. In view of the special circumstances arising out of COVID-19 pandemic, all communication should be sent to the Designated Authority via email at email address adg12-dgtr@gov.in, adv13-dgtr@gov.in, dir12-dgtr@gov.in and dd14-dgtr@gov.in. It should be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/ MS Word format and data files are in MS Excel format.

20. The known producers/exporters in the subject countries, Governments of the subject countries through their Embassy in India, the importers and users in India known to be concerned with the subject goods and the domestic industry are being informed separately to enable them to file all the relevant information in the form and manner prescribed within the time-limit set out below.
21. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the form and manner prescribed within the time-limit set out below.
22. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other parties.

K. Time limit

23. Any information relating to the present investigation should be sent to the Designated Authority via email at the email addresses adg12-dgtr@gov.in, adv13-dgtr@gov.in, dir12-dgtr@gov.in and dd14-dgtr@gov.in within 30 days from the date of the receipt of the notice as per the Rule 6(4) of the Rules. It may, however, be noted that in terms of explanation of the said Rule, the notice calling for information and other documents shall be deemed to have been received one week from the date on which it was sent by the Designated Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting country. If no information is received within the prescribed time-limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules.
24. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit.

L. Submission of information on confidential basis

25. Any party making any confidential submission or providing information on confidential basis before the Authority, is required to simultaneously submit a non-confidential version of the same in terms of Rule 7(2) of the Rules. Failure to adhere to the above may lead to rejection of the response / submissions.
26. The parties making any submission (including Appendices/Annexures attached thereto), before the Authority including questionnaire response, are required to file Confidential and Non-Confidential versions separately.
27. The “confidential” or “non-confidential” submissions must be clearly marked as “confidential” or “non-confidential” at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions.
28. The confidential version shall contain all information which is by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. For information which is claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.
29. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.
30. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.
31. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without good cause

statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.

32. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

M. Inspection of public file

33. A list of registered interested parties will be uploaded on DGTR's website along with the request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions to all other interested parties since the public file will not be accessible physically due to ongoing global pandemic.

N. Non-cooperation

34. In case any interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

ANANT SWARUP, Designated Authority